


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 153]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2015/फाल्गुन 28, 1936

No. 153]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2015/PHALGUNA 28, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2015

सा. का. नि. 204(अ).—विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 200 (अ), दिनांक 21 मार्च, 2014 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या छोड़ी गयी वस्तुओं के सिवाए, केंद्र सरकार एतद्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :—

- (i) माननीय न्यायमूर्ति श्री मनमोहन—अध्यक्ष
 - (ii) माननीय न्यायमूर्ति श्री जे. आर. मिड्डा—सदस्य
 - (iii) माननीय न्यायमूर्ति श्री जयंत नाथ—सदस्य
2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2015 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 674/01/2005-सीमा शुल्क-VIII]

एम. एल. शर्मा, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : यह अधिसूचना सा.का.नि. 200(अ), दिनांक 21 मार्च, 2014 भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड(i) में दिनांक 21 मार्च, 2014 को प्रकाशित हुई थी

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th March, 2015

G.S.R. 204(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) G.S.R. No. 200(E), dated 21st March, 2014 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of :—

- (i) Hon'ble Mr. Justice Manmohan—Chairman
- (ii) Hon'ble Mr. Justice J.R. Midha—Member
- (iii) Hon'ble Mr. Justice Jayant Nath—Member

2. This Notification shall come into force with effect from 23rd March, 2015.

[F. No. 674/1/2005-Cus.VIII]

M. L. SHARMA, Under Secy.

Footnote : The Notification G.S.R. No. 200(E), dated 21st March, 2014 was published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) on the 21st March, 2014.